भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं0 - 158
उत्तर देने की तारीख - 16 अगस्त, 2013

'संयुक्त राष्ट्र का विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग'
का वर्धित सहयोग संबंधी कार्य समूह

***158. श्री राजीव चन्द्रशेखर :**

क्या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'संयुक्त राष्ट्र का विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग' (यू0एन0-सी0एस0टी0डी0) के वर्धित सहयोग संबंधी कार्य समूह में सेवा प्रदान करने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र के भाग के रूप में चार देशों में से एक देश के रूप में भारत का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यू0एन0सी0एस0टी0डी0 के कार्य समूह में कौन सा मंत्रालय भारत का प्रतिनिधित्व करेगा;

(ग) क्या सरकार अपने रुख को अन्तिम रूप देने से पूर्व, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 के मामले की तरह, इस मुद्दे पर सार्वजनिक परामर्श की कोई प्रक्रिया अपनाने का विचार रखती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने वर्ष 2013-14 के दौरान कार्य समूह के विचार-विमर्श हेतु अपने रुख को अन्तिम रूप से निश्चित कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी और विधि एवं न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

जारी....2

राज्य सभा में " **'संयुक्त राष्ट्र का विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग' का वर्धित सहयोग संबंधी कार्य समूह** " के बारे में दिनांक 16 अगस्त, 2013 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 158 के भाग (क) से (घ) के संबंध में सभा पटल पर रखा जाने वाला विवरण।

(क) जी, हां। वर्धित सहयोग संबंधी कार्य समूह (डब्ल्यूजीईसी) में सेवा प्रदान करने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र समूह के भाग के रूप में चार देशों में से एक देश के रूप में भारत का चयन किया गया है।

(ख) जेनेवा, संयुक्त राष्ट्र का भारतीय स्थायी मिशन (पीएमआई) इस समूह में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा।

(ग) i. सभी स्टेकहोल्डरों का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्धित सहयोग संबंधी कार्य समूह (डब्ल्यूजीईसी) के बारे में पूरे विश्व के स्टेकहोल्डरों से विचार-विमर्श की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है।

ii. उपर्युक्त के मद्देनज़र और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह कार्य अभी शुरू ही किया गया है, इस चरण पर राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक परामर्श का कोई विचार नहीं है।

(घ) भारत सरकार ने इंटरनेट अभिशासन की पारदर्शी, लोकतांत्रिक और बहुपक्षीय व्यवस्था के लिए वर्धित सहयोग के संबंध में अपना अनुकूल रूख अपनाया है। सरकार ऐसी प्रणाली में विश्वास रखती है जो इंटरनेट से संबंधित सभी लोक-नीतियों के बारे में सहयोगी, परामर्शक, समावेशी, सर्वसम्मत और उत्तरदायी हो।

*****